वितरण फ्रेंचाइजी को वित्तीय सहायता संबंधी नीति

इस योजना के अधीन वितरण फ्रेंचाइजी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वह वितरण फ्रेंचाइजी करार के अनुसार निर्धारित क्षेत्रों की वितरण प्रणाली / नेटवर्क में दक्षता लाने के लिए निवेश कर सके।

यह वित्तीय सहायता (क) वितरण फ्रेंचाइजी करार के अनुसार निवेश रोल-आउट प्लान / न्यूनतम निवेश प्लान के अधीन आने वाली परिसंपत्तियों और (ख) नये निवेश करने के लिए तथा ऐसी विद्यमान परिसंपत्तियों को बदलने के लिए पूंजीगत निवेश, जिन्हें डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित / स्वीकृत किया गया हो और जो वितरण फ्रेंचाइजी करार, यदि कोई हो, की अपेक्षाओं को पूरा करते हों, में उधारकर्ता / वितरण फ्रेंचाइजी के पात्र निवेश के लिए प्रदान की जाती है।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटी पीएफसी के प्रचालन नीति विवरण (ओपीएस) के अनुसार पात्र होंगे। इसके अलावा एंटिटी अपने तुलन-पत्र की क्षमता (परियोजना के ऋण इक्विटी का अनुपात **70:30** हो) के आधार पर या एसपीवी रूट के माध्यम से (परियोजना का ऋण इक्विटी अनुपात **60:40** हो) पर आधारित वित्तपोषण प्राप्त करेगा।

वित्त पोषण की सीमा पीएफसी के प्रचालन नीति विवरण (ओपीएस) के अनुसार होगी, जो अधिकतम **150** करोड़ रुपए होगी।

वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा एसपीवी और तुलन-पात्र वित्तपोषण के मामले में समुचित प्रतिभूति सृजित की जाएगी। यह प्रतिभूति सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के पहले समरूप प्रभार के रूप में होगी, जो सभी विद्यमान और भावी प्राप्त होने वाली परिसंपत्तियों के अनुसार होगी। द्विपक्षीय प्रतिभूति वैयक्तिक गारंटी / निगम गारंटी और शेयरों को गिरवी रखकर दी जाएगी। न्यास और प्रतिधारण लेखा (आरटीए) और निलंब (एस्क्रो) लेखा भी अदायगी प्रतिभूति तंत्र के लिए सृजित किया जाएगा। परियोजना रेवेन्यू में से कम से कम **2** तिमाहियों का डीएसआरए अपेक्षित होगा और यदि डीएसआरए कम पड़ जाता है तो इसे अपने राजस्व से प्रमोटर / कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

प्रत्येक वित्त वर्ष के संवितरण के लिए न्यूनतम वापसी अवधि वितरण फ्रेंचाइजी करार (डीएफए) की समाप्ति से पहले **10** वर्ष या **2** वर्ष, जो भी पहले हो दी जाएगी।

प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों को मिला दिया जाएगा और उन्हें एक पृथक ऋण के रूप में समझा जाएगा और मूलधन की वापसी के लिए ऐसे वित्त वर्ष की समाप्ति से अधिकतम **6** माह की अवधि तक ऋण स्थगन की अनुमति दी जाएगी। ब्याज की अदायगी पर कोई ऋण स्थगन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वापसी की शर्तें, वित्तीय प्रभार आदि जैसी अन्य शर्तें आरटीएल की विद्यमान नीति के अनुसार लागू होंगी।

समय-समय पर अधिसूचित ब्याज दर और वित्तीय प्रभार लागू होंगे।